International Journal of Home Science 2023; 9(3): 294-299

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2023; 9(3): 294-299
© 2023 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 12-11-2023
Accepted: 13-12-2023

Dr. Pratibha Pal
Assistant Professor, Depatment of Home Science, Gandhi Satabdi Smarak PG Collage, Koilsa, Azamgarh, Uttar Pradesh, India

Corresponding Author:
Dr. Pratibha Pal
Assistant Professor, Depatment of Home Science, Gandhi Satabdi Smarak PG Collage, Koilsa, Azamgarh, Uttar Pradesh, India

घरेलू हिंसा के प्रति गृहविज्ञान स्नातक छात्राओं के विचार

Pratibha Pal

सारांश:
प्रस्तुत अध्ययन "घरेलू हिंसा के प्रति गृहविज्ञान स्नातक छात्राओं के विचार" पर केंद्रित है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन छात्राओं के विचारों और दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण करना है। अध्ययन के अंतर्गत यह समझने का प्रयास किया गया है कि छात्राएं घरेलू हिंसा की परिभाषा, इसके विभिन्न प्रकार और इसके अंतर्निहित कारणों को कैसे समझती हैं। साथ ही, इस विषय पर उनके विचार, इसके समाधान के संभावित उपायों और आवश्यक कानूनी, सामाजिक, तथा शैक्षणिक सुधारों के प्रति उनकी समझ पर आधारित हैं। इस अध्ययन में विभिन्न सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं की राय का विश्लेषण किया गया, ताकि यह आकलन किया जा सके कि उनकी शिक्षा, सामाजिक ढांचे और पारिवारिक मूल्यों का घरेलू हिंसा के प्रति उनके दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ता है। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि उच्च शिक्षा और जागरूकता घरेलू हिंसा के प्रति अधिक सशक्त और संवेदनशील दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, किन्तु सामाजिक और पारिवारिक दबाव अभी भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
यह अध्ययन घरेलू हिंसा की गंभीरता, इसके सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव, और इसे रोकने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयासों की महत्ता पर जोर देता है। निष्कर्ष यह इंगित करते हैं कि शिक्षा और जागरूकता न केवल छात्राओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन हैं,अपितु यह समाज में घरेलू हिंसा जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रभावी रूप से सक्षम बना सकती हैं।

कूटशब्द : घरेलू हिंसा, शिक्षा, सामाजिक संरचना, पारिवारिक मूल्य, जागरूकता आदि।

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि इस देश का इतिहास स्वयं। आज के आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि न केवल भारत, बल्कि समूचे विश्व में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। हालांकि, यह कोई नई समस्या नहीं है; वास्तव में महिलाएं सदियों से विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का सामना करती आ रही हैं।

विश्व के किसी भी राष्ट्र, महाद्वीप, राज्य या क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां महिलाओं को पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते हिंसक उत्पीड़न का सामना न करना पड़ता हो।[1]

महिलाएं स्वभावतः संवेदनशील और कोमल होती हैं, और उनकी सरलता के कारण वे प्रायः प्रतिरोध में असक्षम होती हैं। संभवतः यही कारण है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक अत्याचारों को सहन करना पड़ता है। उत्पीड़न के अनेक रूप होते हैं, यथा यौन उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, घरेलू हिंसा, अपमानजनक व्यवहार, अश्लीलता, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, और संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना आदि।[2]

घरेलू महिलाएं, विशेषकर जो कामकाजी महिलाओं की तुलना में अपने घरेलू कार्यों और सामाजिक भूमिकाओं के कारण अधिक संघर्षों का सामना करती हैं, उत्पीड़न के इन विभिन्न रूपों से जूझने के लिए सदैव तैयार रहती हैं। यह दर्शाता है कि समाज में महिलाओं के प्रति हिंसात्मक प्रवृत्तियां केवल व्यक्तिगत नहीं, अपितु एक संरचनात्मक समस्या हैं, जिसे जड़ से उखाड़ने के लिए गंभीर सामाजिक और वैधानिक प्रयासों की आवश्यकता है। स्त्री की शारीरिक दुर्बलता को बहुधा उसके शोषण का प्रमुख कारण माना जाता है। दुर्भाग्य से, पति द्वारा मारपीट की घटनाएं केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, अपितु वैश्विक स्तर पर भी इस प्रकार के अपराध होते हैं।[3]

महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं, जिनमें यौन शोषण, बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या, देवदासी प्रथा, एसिड अटैक और घरेलू हिंसा प्रमुख हैं। इनमें से सबसे व्यापक और गंभीर अपराध घरेलू हिंसा है, जिसे अधिकांश महिलाएं अपने ही घरों में, पति और ससुराल वालों द्वारा किए गए अत्याचार के रूप में झेलती हैं।

भारत के हर वर्ग और समाज में घरेलू हिंसा की गहरी पैठ हो चुकी है। पहले यह हिंसा शिष्टता, सभ्यता और संपत्ति की कई परतों में छिपी हुई थी, जो विभिन्न सामाजिक स्तरों पर अलग-अलग रूपों में प्रकट होती थी। किंतु आज, यह समस्या समाज के सभी वर्गों में विभक्त और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है।[4]

सभी समाजों और वर्गों में महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जो उनके व्यक्तित्व पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस हिंसा के चलते महिलाओं का अस्तित्व खतरे में महसूस होता है। घरेलू हिंसा का सीधा अर्थ है-परिवार या घर के भीतर महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार, इसे वैवाहिक हिंसा भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक पवित्र संबंध में होता है, जिसमें पति-पत्नी एक साथ सुख-दुख साझा करने के उद्देश्य से प्रवेश करते हैं। विवाह मानव सभ्यता का मूल स्तंभ है, और इसके साथ ही मानव ने सभ्यता की दिशा में कदम बढ़ाया था। जब मानव विवाह के बंधन में नहीं था, वह एक आदिम जीवन जीता था। दुर्भाग्यवश, आज विवाह जैसी संस्था भी कमजोर पड़ती जा रही है, और कई मामलों में यह महिलाओं के लिए एक बंधन और दुखद अनुभव बन जाता है, विशेष रूप से घरेलू हिंसा के कारण।[5]

केंद्र सरकार ने महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा निरोधक कानून बनाया, लेकिन कानून के कई वर्षों के बाद भी इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण सुधार देखने को नहीं मिला है। इसका मुख्य कारण इस मुद्दे के प्रति समाज की जागरूकता की कमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठनों जैसे 'ब्रेकथ्रू' और 'सखी केंद्र' ने 'बेल बजाओ' अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लोगों को घरेलू हिंसा कानून के बारे में जानकारी देना और महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है।[6]

इक्कीसवीं सदी की ओर अग्रसर होते हुए भी भारत विभिन्न सामाजिक मान्यताओं और कुरीतियों के कारण पिछड़ा हुआ है। इन सामाजिक कुरीतियों में सबसे प्रमुख है महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा, जो भिन्न-भिन्न रूपों में सामने आती है। यह

एक गंभीर सामाजिक समस्या है, परन्तु इसके परिणामों की गंभीरता को लेकर हम पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं हैं। यह समस्या क्यों है? इसका समाधान कैसे होगा? और इसके प्रति समाज की मान्यता क्या है? इन प्रश्नों पर अभी तक समाज वैज्ञानिकों द्वारा कोई ठोस विचार या निर्णय नहीं लिया गया है।

इस अध्ययन में यह आवश्यक है कि हम जागरूक होकर इस समस्या की गंभीरता को समझें और इसे वैश्विक स्तर पर एक राष्ट्र के कर्तव्य के रूप में लें। घरेलू हिंसा जैसी गंभीर सामाजिक समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए हमें समर्पित प्रयास करने होंगे, ताकि एक सशक्त और समान समाज का निर्माण किया जा सके।

घरेलू हिंसा न केवल एक सामाजिक समस्या है, अपितु यह महिलाओं के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। इसका उन्मूलन करने के लिए व्यापक सामाजिक, कानूनी और नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सके।

अध्ययन का उद्देश्य: इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य गृहविज्ञान स्नातक छात्राओं के घरेलू हिंसा के प्रति विचारों और दृष्टिकोणों का गहन विश्लेषण करना है। इसके साथ ही, अध्ययन के तहत निम्नलिखित पहलुओं की भी जांच की गई है:

1. छात्राओं द्वारा घरेलू हिंसा की परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकारों की समझ।
2. घरेलू हिंसा के कारणों और इसके सामाजिक, मानसिक और शारीरिक परिणामों के प्रति छात्राओं की जानकारी।
3. घरेलू हिंसा से निपटने के संभावित समाधान और उसमें छात्राओं की भूमिका।
4. छात्राओं के विचारों में शिक्षा स्तर, सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले विभेदों का अध्ययन।

अध्ययन की पद्धति: यह अध्ययन मुख्य रूप से मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन हेतु गृहविज्ञान स्नातक छात्राओं से जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्नावली और साक्षात्कार का उपयोग किया गया। अध्ययन के लिए 100 छात्राओं का चयन किया गया, जिनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि विविध थी। संकलित आंकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक और सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा किया गया, जिससे घरेलू हिंसा के प्रति उनके दृष्टिकोण और सामाजिक कारकों के बीच संबंधों को समझने में सहायता मिली।

प्रतिदर्श विश्लेषण: मुख्य रूप से मात्रात्मक पद्धिति द्वारा एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण निम्न है

क्या आप घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा से परिचित हैं?	
हां	53
नहीं	27
कह नहीं सकते	20
कुल	100

तालिका क्रमांक-1

उपरोक्त तालिका क्रमांक-1 से यह स्पष्ट होता है कि 27% छात्राएं घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा से परिचित नहीं हैं तथा 20% छात्राएं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती है।

क्या आपने कभी अपने आस-पास घरेलू हिंसा के किसी मामले के बारे में सुना या देखा है?	
हां	72
नहीं	25
कह नहीं सकते	3
कुल	100

तालिका क्रमांक-2

तालिका क्रमांक 2 से यह स्पष्ट है कि 72% छात्राओं ने कभी अपने आस-पास घरेलू हिंसा के किसी मामले के बारे में सुना या देखा है, जबकि 25%

छात्राओं ने कभी अपने आस-पास घरेलू हिंसा के किसी मामले के बारे में सुना या देखा नहीं है। मात्र 3% छात्राएं ऐसी है जो इस बारे में कुछ कह नहीं सकती है।

क्या आपको लगता है कि समाज में महिलाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने से डरती हैं?	
हां	58
नहीं	31
कह नहीं सकते	11
कुल	100

तालिका क्रमांक-3

तालिका क्रमांक 3 से यह स्पष्ट यही कि 58% छात्राओं को लगता है कि समाज में महिलाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने से डरती हैं जबकि 31% छात्राओं को लगता है कि समाज में महिलाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरती हैं। 11% छात्राएं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती है।

क्या आपको लगता है कि आर्थिक तनाव घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है?	
हां	42
नहीं	49
कह नहीं सकते	9
कुल	100

तालिका क्रमांक-4

तालिका क्रमांक-4 से स्पष्ट है कि 42% छात्राओं को लगता है कि आर्थिक तनाव घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है जबकि 49% छात्राओं को लगता है कि आर्थिक तनाव घरेलू हिंसा का मुख्य कारण नहीं है। 9% छात्राएं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती है।

क्या आपको लगता है कि घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को परिवार से पर्याप्त समर्थन मिलता है?	
हां	28
नहीं	53
कह नहीं सकते	19
कुल	100

तालिका क्रमांक-5

तालिका क्रमांक-5 से स्पष्ट है कि 28% छात्राओं को लगता है कि घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को परिवार से पर्याप्त समर्थन मिलता है जबकि 53% छात्राओं को लगता है कि घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को परिवार से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है। 19% छात्राएं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती है।

क्या गृहविज्ञान विषय में पढ़ाई घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हो सकती है?	
हां	67
नहीं	16
कह नहीं सकते	17
कुल	100

तालिका क्रमांक-6

तालिका क्रमांक-6 से स्पष्ट है कि 67% छात्राओं को लगता है कि गृहविज्ञान विषय में पढ़ाई घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हो सकती है जबकि 16% छात्राओं को लगता है कि गृहविज्ञान विषय में पढ़ाई घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक नहीं हो सकती है। 17% छात्राएं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती है।

क्या अधिक शिक्षा और जागरूकता घरेलू हिंसा को कम करने में सहायक हो सकती है?	
हां	66
नहीं	23
कह नहीं सकते	11
कुल	100

तालिका क्रमांक-7

तालिका क्रमांक-7 से स्पष्ट है कि 66% छात्राओं को लगता है कि अधिक शिक्षा और जागरूकता घरेलू हिंसा को कम करने में सहायक हो सकती है जबकि 23% छात्राओं को लगता है कि अधिक शिक्षा और जागरूकता घरेलू हिंसा को कम करने में सहायक नहीं हो सकती है। 11% छात्राएं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती है।

क्या आपको लगता है कि घरेलू हिंसा की पीड़िताओं के लिए पर्याप्त सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं?	
हां	26
नहीं	47
कह नहीं सकते	27
कुल	100

तालिका क्रमांक-8

तालिका क्रमांक-8 से स्पष्ट है कि 26% छात्राओं को लगता है कि घरेलू हिंसा की पीड़िताओं के लिए पर्याप्त सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं जबकि 47% छात्राओं को लगता है कि घरेलू हिंसा की पीड़िताओं के लिए पर्याप्त सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं नहीं है। 27% छात्राएं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गृहविज्ञान स्नातक छात्राओं के घरेलू हिंसा के प्रति विचार और दृष्टिकोण यह संकेत देते हैं कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इस जटिल और व्यापक समस्या का प्रभावी समाधान किया जा सकता है। हालांकि, पारिवारिक और सामाजिक संरचनाओं के दबाव इस दिशा में एक प्रमुख बाधा बने हुए हैं। अध्ययन में यह सामने आया है कि घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए केवल शिक्षा ही नहीं, अपितु सामाजिक जागरूकता और कानूनी सुधारों की दिशा में समन्वित और ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

शोध के निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षा का स्तर घरेलू हिंसा के प्रति विचारों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गृहविज्ञान जैसे विषय की पढ़ाई करने वाली छात्राएँ परिवार और समाज से संबंधित मुद्दों के प्रति अधिक सजग और संवेदनशील होती हैं। वे घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों और उनके नकारात्मक प्रभावों को समझने में अधिक सक्षम होती हैं। हालांकि, यह भी देखा गया है कि सामाजिक मानदंड, पारिवारिक मूल्य और पारंपरिक संरचनाएं इन छात्राओं के विचारों में विविधता उत्पन्न करती हैं, जो कभी-कभी घरेलू हिंसा के खिलाफ ठोस कदम उठाने में बाधक साबित होती हैं।

अध्ययन ने इस ओर भी संकेत किया कि छात्राओं में शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने के साथ-साथ, समाज में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर संवाद, नीतिगत सुधार, और कानूनी सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना आवश्यक है, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़ी हो सकें। इसके अतिरिक्त, सामाजिक संरचनाओं में बदलाव लाने के लिए पुरुषों की भागीदारी और मानसिकता में परिवर्तन भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का वातावरण प्राप्त हो सके।

इस प्रकार, यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचता है कि घरेलू हिंसा की समस्या का समाधान केवल व्यक्तिगत जागरूकता से नहीं, अपितु समग्र रूप से समाज, परिवार, और कानूनी व्यवस्थाओं के सहयोग से किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार और नीतिगत उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सन्दर्भ:

1. सिंह, निशांत (2008). महिला विधि. राधा पब्लिकेशन. (पृ. 166). नई दिल्ली.
2. अवस्थी, सुधा (2005). महिलाओं के प्रति अत्याचार एवम् मानवाधिकार. अशोक लौहा हाऊस. (पृ. 295). नई दिल्ली.
3. अग्रवाल, जे. सी. (2001). भारत में नारी शिक्षा. (पृ. 37) विद्याविहार. नई दिल्ली.
4. देशमुख, दुर्गाबाई (1975). विकासोन्मुख समाज में महिलाओं की भूमिका. समाजकल्याण, फरवरी, (पृ. 34).

5. राय, कल्पना. (1994). महिला और उनका वातावरण. रजत पब्लिकेशन्स. (पृ. 881). जयपुर.
6. खेतान, प्रभा (2004). उपनिवेश में स्त्री. राजकमल प्रकाशन. नई दिल्ली.